

इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 फरवरी 2026—फाल्गुन 1, शक 1947

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2026

क्र. 22(ए)161-एमपीएस-31-166.—माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा W.P. (C) 83/2010 Federation of Lepy. Organ. (FOLO) Vs. Union of India में जारी निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की सिफारिशों के अनुपालन में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, Inland Steam Vessels (Madhya Pradesh) Rules, 1962 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 83 का लोप किया जाए,

No. 22(A)-161-MPS-31-166.—In compliance of the recommendations made by the Committee constituted by the State Government, in accordance with the directions issued by Hon'ble Supreme Court in W.P.(C) No. 83/2010, Federation of Lepy. Organ. (FOLO) Vs Union of India, the State Government, hereby, makes the following amendment in the Inland Steam Vessels (Madhya Pradesh) Rules, 1962, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, rule 83 shall be omitted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल धोटे, उपसचिव.